रजिस्ट्री सं० डी० 221 REGISTERED No. D. 221

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 360] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, अगस्त 3, 1972/श्रावण 12, 1894

No. 360] NEW DELHI, THURSDAY, AUGUST 3, 1972/SRAVANA 12, 1894

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

MINISTRY OF LABOUR AND REHABILITATION

(Department of Labour Employment)

NOTIFICATIONS

New Delhi, the 3rd August 1972

S.O. 515(E).—Whereas an industrial dispute exists between the employers in relation to the Royal Exchange Assurance, Guardian Assurance Company Ltd., Union Insurance Society of Canton Ltd. Legal and General Assurance Society Ltd., South British Insurance Company Ltd., Yorkshire Insurance Company Ltd., Eagle Star Insurance Company Limited, and the Home Insurance Company, and their workmen represented by the General Insurance Employees Union, Western Zone, Bombay:

And, whereas the said employers and workmen have under sub-section (1) of Section 10A of the Industrial Disputes Act, 1947, (14 of 1947), agreed to refer the dispute to arbitration by arbitration agreement and have forwarded to the Central Government under Sub-section (3) of the said Act a copy of the said arbitration agreement;

Now, therefore, in pursuance of sub-section (3) of Section 10(A) of the said Act, the Central Government hereby publishes the said arbitration agreement which was received by it on the 1st August, 1972.

Agreement

(Under Section 10A of the Industrial Disputes Act, 1947)

BETWEEN

Names of Parties:

Representing employers.—The General Insurance Companies whose names appear in Schedule A.

Representing workmen.—General Insurance Employees' Union, Western Zone, Bombay representing workmen in the employment of Companies enumerated in Schedule A.

It is hereby agreed between the Parties to refer the following industrial dispute to the arbitration of Mr. N. L. Abhyankar.

(i) *Specific matters in dispute.*—Keeping in view all the circumstances leading to the dispute whether the various categories of employees of the Companies covered by this Arbitration Agreement are entitled to any *ad-hoc* increases in their monthly emoluments for the period from 1st May, 1971 to 31st December, 1972, and if so what should be the quantum of such increases for each of the several categories of the employees.

(ii) *Details of the parties to the dispute including the name and adddress of the establishment or undertaking involved.* The companies in Schedule A and their workmen in the employment of these companies stationed in Bombay.

(iii) *Name of the Union, if any, representing the workmen in question.*—The General Insurance Employees' Union, Western Zone, Bombay, 6, King Lane, Fort, Bombay-1.

(iv) *Total number of workmen employed in the undertaking affected.*—Approximately 367.

(v) *Estimated number of workmen affected by the dispute.*—Same as above.

The Arbitrator shall make his award within a period of two months from the date on which the Central Government refers the above dispute to him, or within such further time as is extended by mutual agreement between the parties in writing. In case the award is not made within the period aforementioned, the reference to arbitration shall stand automatically cancelled and the parties shall be free to negotiate for fresh arbitration.

Signature of the Parties — *Witness*

Representing Employers:

1. (Sd.) — (Sd.)
   Custodian,
   The Home Insurance Co.

2. (Sd.) — (Sd.)
   Custodian,
   Royal Exchange Assurance
   Guardian Assurance Company Limited.
   Caledonian Insurance Company.
   Atlas Assurance Company Limited.
   Union Insurance Society of Canton Limited.

3. (Sd.) — (Sd.)
   Custodian,
   Legal and General Assurance Society Limited.

4. (Sd.) — (Sd.)
   Custodian,
   South British Insurance Company Ltd.

5. (Sd.) — (Sd.)
   Custodian,
   Yorkshire Insurance Company Limited.

Signature of the Parties — *Witness*

6. (Sd.) — (Sd.)

Custodian,
Eagle Star Insurance Company Limited.

Representing Workmen:

(Sd.) K. S. B. PILLAI, General Secretary,
General Insurance Employees' Union, Western Zone, Bombay.

Witnesses:

1. (Sd.) M. K. VENKATESHAN, Joint Secretary,
Ministry of Finance,
Department of Revenue and Insurance, New Delhi.
2. (Sd.) A. KRISHNAMOORTHY, Sr. Personal Assistant,
Ministry of Finance,
Department of Revenue and Insurance, New Delhi.

SCHEDULE A

Names of Companies

Royal Exchange Assurance.
Guardian Assurance Company Ltd.
Caledonian Insurance Company.
Atlas Assurance Company Limited.
Union Insurance Society of Canton Ltd.

} Royal Exchange Guardian Group.

Legal & General Assurance Society Ltd.
South British Insurance Company Ltd.
Yorkshire Insurance Company Ltd.
Eagle Star Insurance Company Limited.
The Home Insurance Company.

[No. L-17025/7/72-LRI(i).]

श्रम और पुनर्वास मंत्रालय

(श्रम और रोजगार विभाग)

अधिसूचनाएं

नई दिल्ली, 3 अगस्त, 1972

का० आ० 515 (अ).—यत: रोयल एक्सचेंज एश्योरेन्स, गार्डिअन एश्योरेन्स कम्पनी लि०, कैलेडोनियम इंश्योरेन्स कम्पनी, ऐटलस एश्योरेंस कम्पनी लि०, यूनियन इंश्योरेन्स सोसाइटी आफ कैण्टन लि०, लीगल एण्ड जनरल एश्योरेंस सोसाइटी लि०, साउथ ब्रिटिश इंश्योरेन्स कम्पनी लि०, यार्कशायर इंश्योरेंस कम्पनी लि० और दि होम इंश्योरेंस कम्पनी के प्रबन्तंत्र से सम्बद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच जिनका प्रतिनिधित्व जनरल इंश्योरेस इम्प्लायीज यूनियन, वस्टर्न जोन, बम्बई करती है, एक औद्योगिक विवाद विद्यमान है ;

और यत: उक्त नियोजकों और कर्मकारों ने औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 10-क की उपधारा (1) के उपबन्धों के अन्तर्गत एक करार द्वारा उक्त विवाद को माध्यस्थम के लिए निर्देशित करने का करार कर लिया है और उक्त माध्यस्थम करार की एक प्रति उक्त अधिनियम की उप-धारा (3) के अन्तर्गत केन्द्रीय सरकार को भेजी है ;

अतः, अब, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 10-क की उप-धारा (3) के उपबन्धों के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार उक्त माध्यस्थम करार को, जो उसे पहली अगस्त, 1972 को मिला था, एतद्द्वारा प्रकाशित करती है ।

करार

(औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1948 की धारा 10-क के अधीन)

बीच

पक्षकारों के नाम :	जनरल इंश्योरेंस कम्पनियां, जिनके नाम अनुसूची क में दिये गये हैं ।
नियोजकों का प्रतिनिधित्व करने वाले : कर्मकारों का प्रतिनिधित्व करने वाले	जनरल इंश्योरेंस ऐम्प्लायीज यूनियन, वेस्टर्न जोन, बम्बई जो अनुसूची क में निर्दिष्ट कम्पनियों की नौकरी में लगे कर्मकारों का प्रतिनिधित्व करते हैं ।

संबंधित पक्षकारों के बीच निम्नलिखित औद्योगिक विवाद को श्री एन० एल० अभयंकर के माध्यस्थम् के लिए निर्देशित करने का करार किया गया है :—

(i) **विनिर्दिष्ट विवादग्रस्त विषय** :—इस विवाद को उठाने वाली सभी परिस्थितियों के दृष्टि में रखते हुए कि कम्पनियों के विभिन्न के कर्मचारी वर्गों जो इस करार के अन्तर्गत आते हैं, अपनी मासिक परिलब्धियों में 1-5-1971 से 31-12-1972 की समयावधि के लिए तदर्थ वृद्धि पाने का हकदार है और यदि हां, तो कर्मचारियों के अनेक वर्गों में से प्रत्येक वर्ग के लिए ऐसी वृद्धियों की राशि क्या होगी ?

(ii) विवाद के पक्षकारों का विवरण जिसमें अंतर्वलित स्थापन या उपक्रम का नाम और पता भी सम्मिलित है ।
अनुसूची क में निर्दिष्ट कम्पनियों और बम्बई में स्थित इन कम्पनियों की नौकरी में लगे उनके कर्मचारी ।

(iii) **यदि कोई संघ प्रश्नगत कर्मकारों का प्रतिनिधित्व करता हो तो उसका नाम :**
जनरल इंश्योरेंस इम्प्लायीज यूनियन, वेस्टर्न जोन, बम्बई, 6 किंग लेन, फोर्ट बम्बई—1।

(iv) **प्रभावित उपक्रम में नियोजित कर्मकारों की कुल संख्या ।**
लगभग 367 ।

(v) **विवाद द्वारा प्रभावित या संभाव्यतः प्रभावित होने वाले कर्मकारों की प्राक्कलित संख्या :**

वही जो ऊपर दी गई है ।

मध्यस्थ अपना पंचाट उस तारीख से जब कि केन्द्रीय सरकार उपर्युक्त विवाद उनको भेजेगी, दो मास की कालावधि या इतने समय के भीतर जो संबंधित पक्षों के बीच पारस्परिक करार द्वारा बढ़ाया जाय, देंगे । यदि पूर्व वर्णित कालावधि के भीतर पंचाट नहीं दिया जाता तो माध्यस्थम् के लिए निर्देश स्वतः रद्द हो जायगा और संबंधित पक्ष नए माध्यस्थम के लिए बातचीत करने को स्वतंत्र होंगे ।

पक्षकारों के हस्ताक्षर

नियोजकों का प्रतिनिधित्व करने वाले	साक्षी
1. ह०/- कस्टोडियन दा होम इंश्योरेंस कं०	ह०/-
2. ह०/- कस्टोडियन रांयल एक्सचेंज एश्योरेंस गार्डियन इंश्योरेन्स कम्पनी लि० कैलेडोनियन इंश्योरेन्स क. ऐटलस एश्यारेंस कम्पनी लि०, यूनियन इंश्योरेन्स कम्पनी लि० यनियन इंश्योरेंस सोसाइटी आफ कैण्टन लिमिटेड ।	ह०/-

पक्षकारों के हस्ताक्षर	साक्षी
3. ह०/- कस्टोडियन लीगल एण्ड जनरल एंश्योरें स । सोसाईटी लि० ।	ह०/-
4. ह०/- कस्टोडियन साउथ ब्रिटिश इंश्योरेन्स कम्पनी लि० ।	ह०/-
5. ह०/- कस्टोडियन यार्क शायर इंशोरेंन्स कम्पनी लि० ।	ह०/-
6. ह०/- कस्टोडियन ईगल स्टार इंश्योरेंन्स कम्पनी लि०	ह०/-

कर्मकारों का प्रतिनिधित्व करने वाले :

1. ह०/—के० एस० वी० पिल्ले ।
महासचिव,
जनरल इंश्योरेंन्स एम्प्लाईज यूनियन,
वेस्टर्न जोन, बम्बई ।

साक्षी

1. ह०/- एम० के० वेंकेटेशन
संयुक्त सचिव,
वित्त मंत्रालय,
राजस्व तथा बीमा विभाग,
नई दिल्ली ।

2. ह०/—ए० कृष्णामूर्ति,
प्रवर वैयक्तिक सहायक,
वित्त मंत्रालय,
राजस्व तथा बीमा विभाग,
नई दिल्ली ।

अनुसूची—क

कम्पनियों के नाम

रायल एक्सचेंज ऐश्योरेन्स ।	रायल एक्सचेंज गार्जियन ग्रुप
रायल गार्डियन एंश्योरेन्स कम्पनी लि० ।	
कैलेडोनियन इंश्योरेन्स कम्पनी ।	
ऐटलस एश्योरेन्स कम्पनी लि० ।	
यूनियन इन्शोरेन्स सोसाईटी आफ कैण्टन लि० ।	
लीगल एण्ड जनरल एंश्योरेन्स सोसाइटी लि० ।	

साउथ ब्रिटिश इंश्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड ।

यार्कशायर इंश्योरेन्स कम्पनी लि० ।

ईगल स्टार इंश्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड ।

दि होम इंश्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड ।

[सं० एल–17025/7/72–एल० आर०–I(i)]

S.O. 516(E).—Whereas an industrial dispute exists between the employers in the Home Insurance Company, Royal Exchange Assurance, Guardian Assurance Company Limited, Caledonian Insurance Company, Atlas Assurance Company Limited, Union Insurance Society of Canton Limited, Legal & General Assurance Society Limited, South British Insurance Company Limited, Yorkshire Insurance Company Limited, Eagle Star Insurance Company Limited (hereinafter referred to as the said Companies) and their workmen represented by the General Insurance Employees' Union, Western Zone, Bombay (hereinafter referred to as the said Union);

And, whereas, the said Companies and the said Union have, by a written agreement in pursuance of the provisions of sub-section (1) of Section 10A of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), agreed to refer the said dispute to arbitration of the person mentioned therein, and a copy of the said arbitration agreement has been forwarded to the Central Government and the same has been published, under the provision of sub-section (3) of the said Section, with the order of the Government of India in the Ministry of Labour and Rehabiliation (Department of Labour and Employment) No. S.O. 515(E) dated the 3rd August, 1972 published in Part II, Section 3, Sub-section (ii) of the Gazette of India, Ordinary, dated the 3rd August, 1972.

And, where as, the Central Government is satisfied that the persons making the said reference represent the majority of the party;

Now, therefore, in pursuance of the provisions of Sub-section (3A) of the said Section, read with Rule 8A of the Industrial Disputes (Central Rules), 1957, the Central Government hereby notifies for the information of the employers and workmen who are not parties to the said arbitration agreement but who are concerned with the said dispute, that the person making said reference represented the majority of each party.

[No. L-17025/7/71/II-LR.1.]

T. S. SANKARAN, Jt. Secy.

का० आ० 516 (अ).—यतः होम इंश्योरेन्स कम्पनी, रायल एक्सचेंज ऐश्योरेन्स, गार्डियन एश्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड, कैलेडोनियन इंश्योरेन्स कम्पनी, एटलस ऐश्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड, यूनियन इंश्योरेन्स सोसाईटी ग्राफ कैन्टन लिमिटेड, लीगल एण्ड जनरल ऐश्योरेन्स सोसाइटी लिमिटेड, साउथ ब्रिटिश इंश्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड, (इसके बाद उक्त कम्पनियों के रूप में निर्दिष्ट की गई हैं) के नियोजकों श्रौर उनके कर्मकारों के बीच, जिनका प्रतिनिधित्व जनरल इंश्योरेन्स एम्प्लाइज यूनियमन पश्चिमी जोन, बम्बई (इसके बाद उक्त यूनियन के रूप में विर्दिष्ट), एक श्रौद्योगिक विवाद विद्यमान है;

श्रौर यतः उक्त कम्पनियों श्रौर उक्त यूनियन ने श्रौद्योगिक विवाद श्रधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 10-क की उपधारा (1) के उपबन्धों के श्रनुसरण में एक लिखित करार द्वारा उक्त विवाद को उसमें वर्णित व्यक्ति के माध्यस्थ के लिए नि दिष्ट करने का करार कर लिया है श्रौर उक्त माध्यस्थम करार की एक प्रति केन्द्रीय सरकार को भेजी गई है श्रौर वहउक्त धारा की उपधारा (3) उपबन्ध के श्रधीन श्रम श्रौर पुनर्वास मंत्रालय (श्रम श्रौर रोजगार विभाग) के श्रादेश संख्या 51 (श्र (श्र) तारीख 3 श्रगस्त 1972 द्वारा भारत के श्रसाधारण राजपत्र दिनांक 3 श्रगस्त, 1972 के भाग 2, खण्ड 3, उपखण्ड 3(ii) में प्रकाशित हुआ है ;

श्रौर यतः केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्त निर्देश करने वाले व्यक्ति पक्ष के बहुमत का प्रतिनिधित्व करते हैं ;

श्रत; श्रब, श्रौद्योगिक विवाद (केन्द्रीय नियमावली), 1957 के नियम 8-क के साथ पढ़े जाने वाली उक्त धारा की उपधारा (3) के उपबन्धों के श्रनुसरण में, केन्द्रीय सरकार एतदद्वारा उन नियोजकों श्रौर कर्मकारों की सूचना के लिए, जो उक्त माध्यस्थम करार में पक्षकार नहीं हैं परन्तु जो उक्त विवाद से संम्बन्धित हैं, श्रधिसूचित करती है कि उक्त निर्देश करने वाले व्यक्ति प्रत्येक पक्ष के बहुमत का प्रतिनिधित्व करते हैं ;

[सं० एल० 17025/7/72/II एल० आर०-I]

टी० एस० शंकरन, संयुक्त सचिव ।

PRINTED BY THE GENERAL MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE MANAGER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1972